

मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद, 7 मंजिल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, पोलीटकनिक के पास, आबांवाडी, अहमदाबाद- 380015.

स्थापना आदेश संख्या 15/2013

दिनांक : 20 फरवरी, 2013

विषय: अधीक्षक की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती के बारे में ।


मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, वडोदरा क्षेत्र, वडोदरा से जारी स्थापना आदेश संख्या 05/2013 दिनांक 30.01.2013 के अनुसरण में श्री एल. जे. परमार, निरीक्षक को अधीक्षक की श्रेणी में पदोन्नति पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट क्षेत्र में अन्य आदेश होने तक तुरंत प्रभाव से तैनात किया जाता है ।

02. उक्त आदेश मानकों के अनुसार वार्षिक सामान्य स्थानांतरण के दौरान नियमित तैनाती करने के विभाग के अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना जारी किया जा रहा है ।

03. श्री एल. जे. परमार, अधीक्षक की विस्तृत तैनाती राजकोट क्षेत्र के आयुक्तों की समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी और तदनुसार, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट द्वारा अपेक्षित आदेश जारी किया जाएगा ।

4. श्री एल. जे. परमार, अधीक्षक ने इस कार्यालय में 14.02.2013 को कार्यग्रहण किया तथा उन्हें आज अपराह्न याने कि 20.02.2013 को कार्यमुक्त किया जाता है । एल. जे. परमार, अधीक्षक, ने वर्तमान कैलेंडर वर्ष में किसी आकस्मिक एवं वैकल्पिक छुट्टी का उपभोग नहीं किया है ।

5. यह आदेश मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

  
( अभय कुमार श्रीवास्तव  
अपर आयुक्त

फा.सं II/03-02/CCO/ 2013

दिनांक: 20.02.2013

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, वडोदरा क्षेत्र, वडोदरा ।
2. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I / राजकोट/ भावनगर/ वडोदरा -I ।
3. सामान्य सचिव, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, वर्ग 'ख' अराजपत्रित (कार्यपालक) अधिकारी संघ, अहमदाबाद / राजकोट ।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अहमदाबाद-I / भावनगर ।
5. व्यक्ति विशेष ।
6. गार्ड फाइल ।
7. अधीक्षक (सिस्टम), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अहमदाबाद-I को ( वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए अनुरोध किया जाता है ) ।



**Office of the Chief Commissioner of Central Excise,  
Ahmedabad Zone,**

7<sup>th</sup> Floor, Central Excise Bhavan, Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad – 380 015  
Email : ccuahmedabad@gmail.com

Tel.: (079) 26303612

Fax: (079) 26303607

**Establishment Order No. 15 / 2013**

**Dated 20<sup>th</sup> February, 2013**

**Sub : Transfer and Posting in the grade of Superintendent – Regarding**

In pursuance of Establishment Order No. 5/2013 dated 30.01.2013 issued by the Chief Commissioner, Central Excise, Customs and Service Tax, Vadodara Zone, Vadodara, Shri L.J. Parmar, Inspector on promotion to the grade of Superintendent is hereby posted to Central Excise, Rajkot Sector with immediate effect and until further orders.

02. The above order is being issued without prejudice to the right of the Department to give regular posting during Annual General Transfer as per norms.

03. The detailed posting of Shri L.J. Parmar, Superintendent will be decided by the Committee of Commissioners of Rajkot Sector and accordingly, necessary orders will be issued by the Commissioner, Central Excise, Rajkot.

04. Shri L.J. Parmar, Superintendent joined his duties in CCO, Central Excise, Ahmedabad on 14.02.2013 and is hereby relieved in the afternoon of today i.e. 20.02.2013. Shri L.J. Parmar, Superintendent has not availed any C.L. and R.H. during the current calendar year.

05. This issues with the approval of Chief Commissioner, Central Excise, Ahmedabad.

  
( Abhai Kumar Srivastav )  
ADDITIONAL COMMISSIONER

F.No. II/03-02/CCO/2013

Dated : 20.02.2013

Copy to:

1. The Chief Commissioner, Central Excise & Custom, Vadodara Zone, Vadodara.
2. The Commissioner, Central Excise, Ahmedabad – I / Vadodara-I / Rajkot.
3. The General Secretary, Central Excise and Customs, Group 'B' Non-Gazetted (Executive) Officers Association, Ahmedabad/Rajkot.
4. The C.A.O. / A.O. (Estt.), Central Excise, Ahmedabad-I / Rajkot.
5. Individual.
6. Guard File.
7. The Superintendent (Systems) Central Excise Ahmedabad-I (it is requested to